प्रेस विज्ञप्ति

08 जुलाई, 2016

'ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन' एक हास्यास्पद 'जुमला' बन गया है। मोदी सरकार एक झूठ छिपाने के लिए 100 और झूठ बोल रही है। **मोदी सरकार** लगभग **45000 करोड़ रु. से अधिक के टेलीकॉम घोटाले** को छिपाने की कोशिश कर रही है। अपनी इस गलती को ठीक करके सरकारी खजाने के 45000 करोड़ रु. वापस लेने की कोशिश करने की बजाए टेलीकॉम मंत्रालय द्वारा पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश उन्हें संदेह के घेरे में डाल रही है।

टेलीकॉम मंत्रालय एवं भूतपूर्व टेलीकॉम मंत्री, रविशंकर ने बयान दिया कि सीएजी की रिपोर्ट जून, 2016 में प्राप्त हुई थी, जबकि सच्चाई यह है कि यह संसद में 11.03.2016 को पेश की जा चुकी थी। न तो मंत्रालय और न ही मंत्री ने इस महत्वपूर्ण सच्चाई को खारिज किया कि टेलीकॉम मंत्रालय सीएजी ऑडिट पर इम्पैनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के माध्यम से विशेष ऑडिट करा रहा था। अंत में श्री रविशंकर प्रसाद ने यह मानते हुए कि छः टेलीकॉम कंपनियों द्वारा आय 46,045.75 करोड़ रु. कम बताई जाकर सरकारी खजाने के बकाया 12,488.93 करोड़ रु. (पेनल्टी के अलावा) की वसूली की जानी है, उन्होंने यह भी बयान दिया कि इसके बाद के सालों, यानि 2010–11 से 2015–16 के बीच आय को कम करके नहीं बताया गया है।

मोदी सरकार एवं उनके मंत्रियों का आचरण अब संदेह के दायरे में है। 125 करोड़ भारतीयों की ओर से हम मांग करते हैं कि भाजपा सरकार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे :–

1. मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं कि इसके बाद के सालों, यानि 2010–11 से 2015–16 के बीच छः टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा आय कम करके नहीं दिखाई गई? मंत्री जी को सीएजी के द्वारा उनके खातों का ऑडिट किए बिना ही यह जानकारी किस प्रकार प्राप्त हुई? क्या इससे यह साफ नहीं हो जाता है कि मोदी सरकार साल 2010–11 से साल 2015–16 के बीच सीएजी से ऑडिट कराने की इच्छुक नहीं है, जिसके द्वारा सरकारी खजाने को लगभग 33,000 करोड़ रु. का राजस्व मिल सकता है? क्यों? क्या इससे सरकारी खजाने को नुकसान नहीं होगा?
2. टेलीकॉम मंत्रालय एवं मत्री, श्री रविशंकर प्रसार 12,488 करोड़ रु. के वास्तविक नुकसान के लिए सीएजी के ऑडिट के ऊपर इम्पैनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से 'स्पेशल ऑडिट' कराने पर जोर क्यों दे रहे हैं? क्या उन्हें सीएजी में भरोसा नहीं है या फिर यह पैसे की रिकवरी को अनिश्चित काल के लिए या हमेशा के लिए टालने की कोशिश है?
3. क्या यह सच नहीं है कि यूपीए सरकार ने चार सालों (2006–07 से 2009–10) के लिए छः टेलीकॉम कंपनियों के खातों के स्पेशल सीएजी ऑडिट का आदेश नहीं दिया था? क्या यह सच नहीं है कि टेलीकॉम कंपनियां इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में गई थीं और अंत में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 17.04.2014 के आदेश ने सीएजी को ऑडिट करने की अनुमति दे दी थी? क्या यह सच नहीं है कि सीएजी का ऑडिट 11.03.2016 को आ गया था? सवाल यह है कि भाजपा सरकार एवं श्री रवि शंकर प्रसाद देश के नागरिकों को गुमराह करके इस सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?
4. सरकार छः टेलीकॉम कंपनियों से सरकारी खजाने के 12,488.93 करोड़ रु. की राशि रिकवर करने में कितना समय लगाएगी? क्या यह सरकार साल 2010–11 से लेकर साल 2015–16 तक टेलीकॉम कंपनियों के खातों का ऑडिट कराएगी, ताकि 33,000 करोड़ रु. की अनुमानित बकाया राशि के विषय में सही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके?

5. टेलीकॉम कंपनियों द्वारा आय को छिपाए जाने/कम करके बताए जाने एवं 'एस्सार टेप्स' के बीच क्या संबंध है, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित चर्चा एवं सहायता की मांग की गई है। क्या प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी एस्सार टेप्स पर एक निष्पक्ष न्यायिक जांच का आदेश देंगे?